

सहायक कलक्टर (SDO)

अदालत.....

बायत

मुकाम.....

रवेमी देवी

बनाम

हेमारांम कोठा

किस्म मुकदमा रा.प. आवेदन 111, 128 नं. 93 सन 2020

RLR पर-

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4.6.2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>रवेनाराम जाखड</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/धू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>15/6/2020</u> को पेश हो।</p>	
15/06/2020	<p><u>वि. रवेनाराम</u></p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायत</p> <p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/ विप्रार्थी गिणों के मोहिल तामिल खुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विषय गया। विप्रार्थी संख्या-2 रा.प. उपरिपत्र/ विप्रार्थी संख्या-1 के मुकदमे में विरुद्ध एडवोकेट डामवादी कमल के लगे जारी है। प्रार्थी संख्या-2 के जवाब देड पत्रावली दिनांक 24/06/2020 को पेश है।</p>	<p>रवेनाराम</p>
24/06/2020	<p><u>वि. रवेनाराम</u></p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायत</p> <p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/ विप्रार्थी संख्या-2 वाकडुड सूचना अनुपरिपत्र/ जिन्हे विरुद्ध एडवोकेट डामवादी कमल के लगे जारी है प्रार्थी के अधिवक्ता से एड-पसिम अग्रस खुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बतया है प्रार्थी व विप्रार्थी गिणों के ध्यान डारी खेत सेवा से किये हुए है प्रार्थी व</p>	

वि. रवेनाराम
सहायक कलक्टर (SDO) बायत



विपक्षीगणों के सेवे के मध्य जो जल्दी में
व डोने जाने, डोर में जो पतमान में काधिकारों
को वजह से बिना रूप है जिस द्वारा जारी
को करने, व्यावसायी क्षेत्रों की सीमाओं को बनाए
रखने को पा रहा है जारी व विपक्षीगणों के
मध्य क्षेत्र के लोगों को लेकर हमेशा तनावपूर्ण
रहता है जिस द्वारा जारी को करने क्षेत्रों को पन्नी
नेपालवन्ती इतराण काव्यपुत्र है इसलिए जारी को
नेपालवन्ती कावेदन स्वीकार किया जाउर नेपालवन्ती
कोई किया जावे।

कतः जारी काधिकारों के निवेदन पर
जारी को नेपालवन्ती कावेदन स्वीकार किया जाउर
तुम्हीलकर वायपुत्र को उमिशन व सम्बंधित श्रमिक-
नियम निरिस्त को सहायक उमिशन निश्चलत किया
जाउर कोई किया जाता है कि फाय स्वयं मरु
ए सहायक उमिशन से जारी के व्यावसायी क्षेत्रों
को पन्नी नेपालवन्ती कोडे पर उमिशन सुलुजम-
इतराउर उरे। पालना रिपोर्ट पालत टोन पर वाकिल
पत्रावली है। पत्रावली फौजल कुमार टोउर दज नम्बर
ले उम ही दाखिल दालत है।

सहायक कलक्टर

(SDO) बायत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक/आवेदन/2020/447
राजस्व आवेदन संख्या -93/2020

दिनांक:- 24.6.2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

श्री खेमी पत्नी टीकमाराम
वगैरा 3, जाति-जाट,
निवासी-बायतु भोपजी,
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेरश्री हेमाराम पुत्र हिमथाराम वगैरा 2
जाति-जाट, निवासी-बायतु भोपजी,
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश


प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बायतु भोपजी पटवार हल्का बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1039/337 रकबा 0.0162 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक/आवेदन/2020/448-52
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेमी पत्नी टीकमाराम वगैरा 3।
4. विप्रार्थीगण श्री हेमाराम पुत्र हिमथाराम वगैरा 2।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।


सहायक कलेक्टर (SDO)
(विवेक व्यास)

उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 24/6/2020


उपखण्ड अधिकारी बायतु